



नीपा पुस्तकालय सदस्यता फॉर्म
(सेवानिवृत्त संकाय)

नाम

पदनाम

विश्वविद्यालय सेवायोजन पहचान संख्या

सेवानिवृत्ति की तारीख

स्थानीय पता

स्थायी पता

मोबाइल नं. दूरभाष नं. (आवासीय)

ई-मेल

भुगतान का विवरण:

बैंक का नाम डीडी/चेक सं. दिनांक

(आवेदक के हस्ताक्षर)

(नोट: कृपया इस प्रपत्र के पीछे पुस्तकालय के नियमों को ध्यान से पढ़ें)

(कार्यालयी उपयोग के लिए)

सदस्यता पहचान सं.

टिप्पणी, यदि कोई हो

(पुस्तकालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर)

अग्रेषित: वित्त अधिकारी/अनुभाग अधिकारी (लेखा)

पुस्तकालय सदस्यता के लिए नियम विनियम (सेवानिवृत्त संकाय)

1. इच्छुक सेवानिवृत्त शिक्षक जो पेंशनभोगी के रूप में नीपा के वेतन पत्रक पर हैं और शैक्षणिक कार्य में लगे हुए हैं, उन्हें पुस्तकालय सुरक्षा जमा के रूप में (वापसी योग्य) 5,000/- रुपये के एकमुश्त भुगतान पर सदस्यता दी जा सकती है।
2. सदस्यता के लिए भुगतान डिमांड ड्राफ्ट/चेक द्वारा किया जाना चाहिए, जो 'कुलसचिव, नीपा, नई दिल्ली' के पक्ष में तैयार किया गया हो।
3. सदस्य, पुस्तकालय में परामर्श सुविधा के साथ 15 दिनों की अवधि के लिए एक समय में अधिकतम दो पुस्तकें जारी कराने के हकदार होंगे।
4. जर्नल, बाउंड वॉल्यूम, जर्नल के खुले अंक और पत्रिकाओं के नवीनतम उपलब्ध अंकों को केवल पुस्तकालय परिसर के भीतर ही संदर्भित किया जाना है और यह जारी करने के लिए उपलब्ध नहीं हैं।
5. सभी सदस्य वीपीएन के माध्यम से ई-संसाधनों का उपयोग करने के भी हकदार हैं।
6. पुस्तकालय सदस्यता के लिए आवेदन पत्र प्रथम तल पुस्तकालय या पुस्तकालयाध्यक्ष के संचालन डेस्क से प्राप्त किया जा सकता है।
7. सदस्य अपनी सदस्यता की अवधि के दौरान पुस्तकालय को अपने संपर्क पते, मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी या स्थिति में आये किसी भी बदलाव के बारे में सूचित करेंगे।
8. किसी सदस्य द्वारा किसी भी प्रकार से खोई या क्षतिग्रस्त हुई पुस्तक को उसके द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। यदि किसी पुस्तक को यथोचित नोटिस दिए जाने के बाद बदला या वापस नहीं किया जाता है, तो उसके लिए ऐसा मुआवजा जो पुस्तकालय द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, सदस्य के खाते से काट लिया जाएगा।